संख्या-06/2018/1978/29-6-2018-300सा0/03टीसी

प्रेषक,

अभिषेक सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक: 14 सितम्बर, 2018

विषय:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की उचित दर दुकानों के निलम्बन/निरस्तीकरण एवं सम्बद्धीकरण के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2260/29-6-04-300सा0/03, दिनांक 29-07-2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था है कि 'यदि उचित दर की कोई दुकान निलम्बित की जाती है, तो उसका सम्बद्धीकरण गॉव/शहर की (जैसी भी स्थिति हो) सबसे निकट की उचित दर की दुकान से किया जायेगा। किसी भी एक दुकान से अधिकतम एक ही निलम्बित दुकान का सम्बद्धीकरण किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में एक दुकान से एक से अधिक निलम्बित दुकान का सम्बद्धीकरण नहीं किया जायेगा।'

2- वर्तमान में एक आधार कार्ड से कई राशन कार्डो पर खाद्यान्न वितरण किये जाने के प्रकरण में जनपदों में नगरीय क्षेत्र की दुकानों पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उचित दर दुकानें निलम्बित की गयी हैं, जिसके दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2004 के प्रस्तर-3 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में एक दुकान से एकाधिक निलम्बित दुकानों का सम्बद्धीकरण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- अत: इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2004 के प्रस्तर-3 में दी गयी प्रक्रिया के स्थान पर निम्नवत प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

**"यदि उचित दर की कोई दुकान निलम्बित की जाती है, तो उसका सम्बद्धीकरण गॉव/शहर की (जैसी भी स्थिति हो) सबसे निकट की उचित दर की दुकान से किया जायेगा। किसी भी एक दुकान से यथा सम्भव एक ही निलम्बित दुकान का सम्बद्धीकरण किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में एक दुकान से एकाधिक निलम्बित दुकानें जिलाधिकारी के पूर्वानुमति से सम्बद्ध की जायेंगी।"**

4- उक्त शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2004 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
(अभिषेक सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।
4- समस्त सहायक आयुक्त, खाद्य, उ0प्र0।
5- समस्त उप संभागीय विपणन अधिकारी, उ0प्र0।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।